न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट घूघरा

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 34 / 2019

1. अमरजीत सिह पुत्र सरदार कुलदीप सिंह
2. गुरूप्रीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह
   उपरोक्त सभी जाति सिक्ख पंजाबी निवासी शास्त्री नगर तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश **दिनांक 07.12.2021**

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत घूघरा में पेश हुई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर रिनवेद न किया कि ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 147 के खसरा नम्बर 878 का रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 879 / 01 का रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नम्बर 879 / 02 का रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 880 / 01 का रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 880 / 02 का रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 881 का रकबा 10 बिस्वा कुल किता 06 का कुल रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा समस्त भूमि को खातेदारान ने दिनांक 03.03.1982 को बेचान उपरोक्त प्रार्थीगण के पक्ष मे कर दिया तथा नामान्तकरण संख्या 202 दिनांक 24.101989 को स्वीकृत किया गया और राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकन दर्ज किया गया । प्रार्थीगण की खरीदशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 881 का रकबा 10 बिस्वा

Scanned by CamScanner

क भू–संशोधन में नम्बर 1339 रकबा 10 बिस्वा बने जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1225 का रकबा 004 हैक्टेयर बना है। उपरोक्त खातेदारी की प्रार्थीगण की पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदशुद्वा भूमि गैर मुमकिन चाह व टूडी को बिना किसी सक्षम अधिकार के द्वारा पारित विधिक आदेश के एवं बिना प्रार्थीगण को सूचना देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किये अप्रार्थीगण संख्या 01 ने अपने सरकारी सिवायचक दर्ज करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 को हस्तान्तरित कर दिया और राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उनका नाम दर्ज कर दिया जो कि अवैधानिक रूप से किया गया त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन दर्ज करना विधि सम्वत है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दर्ज कर रेकार्डेड खातेदारो से खरीदशुद्वा भूमि का अंकन अपने नाम दर्ज कर लिया/कवा दिलया जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकन दर्ज किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के नाम वाके ग्राम घूघरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित कृषि गैर मुमकिन चाह व टूडी को राजस्व अभिलेख जमाबंदी के खसरा नम्बरान 1224, 1225 का कुल रकबा 0.08 हेक्टेयर को खातेदार काश्तकार के कॉलम में अंकन दर्ज किये जाने के समुचित आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

तहसीलदार अजमेर के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम घूघरा के चौसाला खसरा नम्बर 881 रकबा 0–10–00 के वर्कीग खसरा नम्बर 1339 रकबा 0–10–00 के हाल खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.04 व 1225 रकबा 0.04 को अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम सहवन से दर्ज कर दिये जाने से पुनः खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थना पत्र में वर्णित वर्किग खसरा नम्बर 1339 रकबा 0–10–00 बीघा भूमि वर्कीग जमाबंदी 2041 मं सिवायचक के रूप में खाता संख्या 1 में दर्ज था जिस बाबत प्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण संख्या 202 स्वीकृत दिनांक 24.10.89 में निरीक्षक व भू–प्रबन्ध अधिकारी की टिप्पणी से स्पष्ट है । तत्पश्चात वर्कीग खसरा नम्बर 1339 रकबा 0–10–00 के हाल खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.04, 1225 रकबा 0.04 अजमेर विकास प्राधिकरण

Scanned by CamScanner

अजमेर के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा वांछित दुरूस्ती हेतु अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सिवायचक अंकित होकर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तान्तरित हो चुकी है। जिसके सबंध में हक अधिकार का निर्धारण केवल नियमित राजस्व वाद के तहत ही किया जाना सम्भव है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रार्थीगण इस सबंध में सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद के माध्यम से ही यह अनुतोष प्राप्त करने हेत स्वत्रंत है।

आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner